मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम १९८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०२३ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०२०" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०२०" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०२०" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को आवासीय प्रायोजन के लिए पट्टाधृति अधिकारों के आबंटन का उपबंध करता है. अधिनियम के विद्यमान उपबंध, शासकीय भूमि पर या नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास कर रहे ऐसे भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को, जो ३१ दिसम्बर, २०१४ को ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हों, पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हैं. तब से राज्य के कई गरीब व्यक्ति आजीविका के प्रयोजन से नगरीय क्षेत्रों में आ गए हैं और ऐसी भूमि पर रह रहे हैं. अतएव, इन भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ३ और ४ में यथोचित संशोधन द्वारा अंतिम तारीख को ३१ दिसम्बर, २०१४ से बढ़ाकर ३१ दिसम्बर, २०२० किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख २८ फरवरी, २०२३

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) से उद्धरण.

* * *

धारा-३. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे भूमि के संबंध में, जो "३१ दिसम्बर, २०१४" को किसी भूमिहीन व्यक्ति द्वारा किसी नगरीय क्षेत्र में अधिभोग में रखी जाती हो, उपधारा (२) के उपबंधों के अध्यधन रहते हुए, यह समझा जाएगा कि उक्त तारीख को उसका व्यवस्थापन, उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में हो गया है.

(२) प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, विरचित नियमों या जारी, निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, या तो भूमिहीन व्यक्ति के वास्तविक अधिभोग में की भूमि का व्यवस्थापन या उसको किसी अन्य भूमि का आवंटन जो पचास वर्ग मीटर से अधिक न हो उसके पक्ष में पट्टाधृति अधिकारों में कर सकेगा परन्तु वह "३१ दिसम्बर, २०१४ के पूर्व से नगरीय क्षेत्र में अपने निवास को साबित करने के लिए निम्नलिखित सबूत पेश करेगा.-

(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे जारी किया गया राशन कार्ड या

(ख) मोहल्ला समिति से लिखित में परिसाक्ष्य, यह प्रमाणित करते हुए कि "३१ दिसम्बर, २०१४" के पूर्व से उस क्षेत्र में निवास करता है:

परन्तु जहां भूमिहीन व्यक्ति के अधिभोग में पचास वर्गमीटर से अधिक भूमि है, वहां भूमि का व्यवस्थापन नगर पंचायत क्षेत्र में १०० वर्गमीटर तक, नगरपालिक क्षेत्र में ८० वर्गमीटर तक, राजभोगी नगरों से भिन्न नगरों की सीमाओं के भीतर ७० वर्गमीटर तक तथा राजभोगी नगरों को सीमाओं के भीतर ६० वर्गमीटर तक किया जा सकेगा.

धारा-४. (१) यदि किसी ऐसे भूमिहीन व्यक्ति को, जिसको धारा ३ के अधीन किसी भूमि में पट्टाधृति अधिकार प्रौद्भूत होते हैं, उस भूमि या उसके किसी भाग से, विधि के सम्यक् अनुक्रम में कब्जा न करके अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है तो अधिकृत अधिकारी, बेकब्जा किए जाने की तारीख से छः माह के भीतर उक्त भूमिहीन व्यक्ति द्वारा उसे आवेदन किया जाने पर, ऐसा कब्जा वापस दिलाएगा.

(२) यदि "३१ दिसम्बर, २०१४" को प्रश्नगत भूमि के अधिभोग के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह भूमिहीन व्यक्ति, जो यह दावा करता है कि उक्त तारीख को वह भूमि उसके अधिभोग में थी, वह विवाद विनिश्चिय के लिए प्राधिकृत अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा, प्राधिकृत अधिकारी का उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा :

परन्तु उपधारा (२) के अधीन कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.